न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2013

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. खेताराम पुत्र श्री गुलाराम		1. तेजाराम पुत्र श्री हपाराम
2. धनाराम पुत्र श्री गेपरराम		2. देवाराम पुत्र श्री हपाराम
3. शिवराम पुत्र श्री गेपरराम		दोनों जातियान–जाट
सभी जातियान–जाट		निवासीगण–ग्राम मैलाणा
निवासीगण–ग्राम मैलाणा		तहसील–बावड़ी, जिला जोधपुर
तहसील–बावड़ी		3. तहसीलदार बावड़ी
जिला जोधपुर		जिला–जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति:–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06.04.2017

प्रार्थी खेताराम पुत्र श्री गुलाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम मैलाणा, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत अप्रार्थी तेजाराम पुत्र श्री हपाराम जाति जाट निवासी ग्राम मैलाणा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बीघा जो नामान्तरकरण संख्या 259 के जरिये खातेदारी में दर्ज हुई है एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, को निरस्त कराने बाबत पेश किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मैलाणा की सरहद में खसरा नम्बर 688 रकबा 80 बीघा 17 बिस्वा भूमि राज्य सरकार की खातेदारी की आई हुई थी जिसमें से विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के स्व.पिता हपाराम को भूमि आवंटित कर

दी गई, जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश दिनांक 26.12.75 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेज के विपरित होने, स्व.हपाराम द्वारा आवंटन/नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने एवं खसरा नम्बर 688 में से 5 बीघा भूमि आवंटित न होने पर भी नामान्तरकरण संख्या 259 मौजा मैलाणा को न्यायालयों के आदेशों की पालना का अधिकार केवल तहसीलदार को होने के बावजूद सरंपच से तस्दीक करवाने, स्व.हपाराम की ग्राम मैलाणा एवं ग्राम रूदिया मे सह खातेदारी में भूमि होने पर वक्त आवंटन भूमिहीन व्यक्ति न होने, प्रार्थी की ओर से आवंटन आदेश की नकल मांगने पर नकल उपलब्ध नहीं करवाने, बिना किसी आवंटन आदेश के राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने, स्व. हपाराम के खातेदारी में खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बीघा भूमि बिना किसी विधिक प्रक्रिया के दर्ज होने, भू आवंटन नियमों की पालना न होने, उक्त आवंटन की हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब नहीं करने, स्व. हपाराम खसरा नम्बर 688 में कभी भी काबिज काश्त न होने एवं न ही वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने आदि आधारों पर पेश कर अप्रार्थी के पिता स्व.हपाराम के पक्ष में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बीघा जो नामान्तरकरण संख्या 259 के जरिये खातेदारी में दर्ज हुई है एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री सुगनमल परिहार ने लिखित जवाब पेश किया जो इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण के पिता को वर्ष 1975 में पुराने कब्जा के आधार पर भूमि का विधिवत नियमन भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। दिनांक 26.12.75 को भूमि आवंटन कमेटी की बैठक आयोजित कर स्व.हपाराम के अलावा भी अन्य व्यक्तियों को भूमि का आवंटन व नियमन किया गया तथा नियमन आदेश की पालना में स्व. हपाराम के नाम नामान्तरकरण संख्या 259 स्वीकार किया गया इसके पश्चात् गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 772 दिनांक 03.12.1988 को स्वीकार किया गया तथा हप्पाराम के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम से नामान्तरकरण संख्या 686 स्वीकार किया गया है। स्व.हपाराम के नाम भूमि पैतृक व पुश्तैनी है तथा पूर्व में पीराराम की थी जो विरासत में उनके वारिसों हप्पाराम के अलावा उसकी दो बहिने व माता भी संयुक्त परिवार की सदस्य एवं पीराराम की वारिस थी इस प्रकार स्व.पीराराम के हिस्से में बहुत ही कम भूमि आती थी एवं इसी आधार पर पुराना कब्जा काबिल नियमन के मानते हुए नियमन किया गया है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 698 व 699 के चिपते ही एक छोटे भूखण्ड के रूप में स्थित है एवं खसरा नम्बर 698 व 699 की

भूमि खसरा नम्बर 688 की भूमि के बीच कोई माठ नहीं थी एवं सम्पूर्ण भूमि पर एक समान कब्जा काश्त खसरा नम्बर 698 व 699 स्व. हप्पाराम के सह खातेदारी की भूमि शुरू से ही है। स्व.हप्पाराम कोई धनाढय अथवा साधन सम्पन्न व्यक्ति नहीं है जिसने किसी तरह की मिलावट करके भूमि का नियमन करवाया हो बल्कि स्व.हप्पाराम शुरू से ही एक पेशेवर कृषक रहे है एवं एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते है। स्व. हप्पाराम को भूमि का नियमन गैर खातेदारी के आधार पर किया गया एवं उसके बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से सन् 1988 में खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा केवल अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मेलाणा के खसरा नम्बर 688 रकबा 80 बीघा 17 बिस्वा राज्य सरकार की खातेदारी की भूमि मे से 5 बीघा भूमि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. हपाराम को आवंटित कर नामान्तरकरण संख्या 259 मौजा मैलाणा सरपंच से स्वीकृत करवा लिया गया। आवंटन हेतु न तो आवेदन प्रस्तुत किया गया, न हीं हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब कि गयी। स्व.हपाराम की ग्राम मैलाणा एवं ग्राम रूदिया मे सह खातेदारी में भूमि होने से वक्त आवंटन वह भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। स्व. हपाराम ने अपने प्रभाव से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर, भू आवंटन नियमों की पालना किये बगैर आवंटन आदेश जारी करवाकर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। स्व. हपाराम खसरा नम्बर 688 में कभी भी काबिज काश्त नहीं हुए एवं न ही वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अत: अप्रार्थी के पिता स्व.हपाराम के पक्ष में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बीघा जो नामान्तरकरण संख्या 259 के जरिये खातेदारी में दर्ज होकर वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री सुगनमल परिहार ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी भूमिहीन कृषक होने से खसरा नम्बर 688 में से 5 बीघा भूमि का दिनांक 26.12.75 को प्रार्थी को आवंटन किया गया तथा आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। अप्रार्थीगण के नाम जारी आवंटन आदेश विधिवत जारी किया गया है। अत: प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

हमने वकुलाय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम मेलाणा के खसरा नम्बर 688 रकबा 80 बीघा 17 बिस्वा राज्य सरकार की खातेदारी की भूमि मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन एवं नियमन विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही की है जिसकी पुष्टि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन सलाहकार समिति की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा परिवर्तनशील तथा खसरा गिरदावरी में दर्ज कब्जा व फसल के उल्लेख से होती है। अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन रेकर्ड से परे है कि नियमों विरूद्ध जाकर उक्त आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. हपाराम को वर्ष 1975 में पुराने कब्जे के आधार पर भूमि आवंटित कर नामान्तरकरण संख्या 259 मौजा मैलाणा सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत किया गया है उसके अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 688/6 रकबा 5 बीघा का आवंटन नामान्तरकरण संख्या 259 के जरिये श्री हपाराम पुत्र पीरा जाट को हुआ था तथा मौके पर पर आवंटी के वारिसान खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही कब्जा काश्त है। इसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के साथ प्राप्त पटवारी हल्का मेलाणा की रिपोर्ट से होती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि उद्देश्य हेतु भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी के पिता हपाराम के पक्ष में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 259 के जरिये खातेदारी में दर्ज हुई है एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की है।

आदेश:- ''पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर न्यायालय को उक्त आवंटन विधिक प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार होना प्रतीत होता है।'' अत: उपरोक्त परिपेक्ष में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2017 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर